न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 25/2011/अपील

1. भंवर लाल
2. मंगलचन्द
3. रामनिवास
4. श्यामलाल

पुत्रगण गुल्लाराम जाति माली निवासीगण समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्टस्

बनाम

1. बृजेन्द्र सिंह बिजारणियां पुत्र दानाराम — जाति जाट, निवासी ग्राम बीबीपुरा बड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर
2. अशोक कुमार बगड़िया पुत्र लिखमाराम — जाति जाट, निवासी ग्राम भढ़ाढ़र, तहसील धोद जिला सीकर
3. महावीर सिंह पुत्र सुरजाराम — जाति जाट, निवासी नेहरों की ढ़ाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
4. महावीर सिंह पुत्र किशनाराम — जाति जाट निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर
5. रूघाराम पुत्र हेमाराम — जाति जाट निवासीगण बिंज्यासी तहसील व जिला सीकर
6. रामेश्वर लाल पुत्र पोखरमल
7. तहसीलदार सीकर
8. उप पंजीयक सीकर

रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः—

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्व
नामान्तरण संख्या 464 दिनांक 25.04.2011 द्वारा नायब तहसीलदार सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांक : सितम्बर, 2017 दिनांकः 06 नवम्बर, 2017

1. अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलांट के पैतृक खाते कब्जे काश्त की बारानी कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 627/459 रकबा 2.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 628/459 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 629/462 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 630/462 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.08 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 464 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर जिनके नये बट्टा नम्बर 728/463 रकबा 0.03 हैक्टर व 727/464 रकबा 0.11 हैक्टर तथा चाह जाव खसरा नम्बर 330 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्ब्र 409 रकबा 1. 33 हैक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.18 कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 हैक्टर राजस्व ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। डालूराम की विरासत में खाता गलत रूप से गुल्लाराम के तस्दीक हो जाने तथा गुल्लाराम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्ठा करने पर अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर सीकर के यहां बउनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम आदि दावा संख्या 71/87 पेश किया। इस समय भूप्रबन्ध कार्यवाही चालू हो जाने से गुल्लाराम अकेले के हक में स्वीकृत नामान्तरण त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 193/86 कायम की जाकर गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर बारानी कृषि भूमि 458, 627/459, 460, 628/459, 629/462, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर अपनी बहिनों को दे दी तथा चाही जाव की जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 अपने हिस्से में रख ली। इस कारण गुल्लाराम के समान ही उसकी बहिनें भी खातेदार हो गई इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। तादौरान दावा के पक्षकारान में राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा गुल्लाराम के ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित चाही आराजी में जमीन खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 भूमि हिस्से में आई तथा ग्राम समर्थपुरा में स्थित बारानी फसली कृषि भूमि 458, 627/459, 628/459, 460, 629/462, 630/462, 463, 464 कुल किता 8 कुल रकबा 4.05 हैक्टर चन्दा, मणि, ज्यानकी के हिस्से में आने का राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक कर दिया गया। लेकिन सहायक कलक्टर सीकर द्वारा राजीनामे के विपरीत जाकर इस बाबत कोई ध्यान दिये बिना कि गलत रूप से गुल्लाराम को

उनके हिस्से से भी ज्यादा चाही भूमि ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित खसरा नम्बर 330 से 332, 408, 409, 411 राजीनामे में मिल चुकी है। सहायक कलक्टर सीकर ने राजीनामे पर ध्यान दिये बिना गलत रूप से गुल्लाराम को बारानी भूमियों में से 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा गुल्लाराम ने बिना कोई प्रतिफल लिए अपनी पारिवारिक नाराजगी के चलते आरम्भतः शून्य विक्रय पत्र दिनांकित 26.10.1998 को सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमियों सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 23.10.1998 के तहत भरा गया नामान्तरण संख्या 141 जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 37/99 बउनवानी सहायक अभियंता सार्वजनिक विभाग सीकर बनाम गुल्लाराम आदि दिनांक 05.12.2000 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01. 2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने हक अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करवाये बिना राजस्व मण्डल अजमेर पीठासीन अधिकारियों व अपीलांट को मुगालता देकर निर्णय पारित करवा लिया जिसकी रिट याचिका 5303/10 आगामी तारीख पेशी 16.05.2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां विचाराधीन है। दावे, अपील, रिट विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 ने दिनांक 20.04.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित कर दिया तथा अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार सीकर के यहां दिनांक 23.04.2011 को केविएट आवेदन दायर करने के बाद भी अपीलांट व हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 464 नायब तहसीलदार सीकर को अन्यथा प्रभावित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 ने अपने हक में तस्दीक करवा लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आये हैं।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि डालूराम की विरासत में खाता गलत रूप से गुल्लाराम के तस्दीक हो जाने तथा गुल्लाराम द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों को खुर्द बुर्द करने की कुचेष्ठा करने पर अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत उदघोषणा

व स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर सीकर के यहां बउनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम आदि दावा संख्या 71/87 पेश किया। इस समय भूप्रबन्ध कार्यवाही चालू हो जाने से गुल्लाराम अकेले के हक में स्वीकृत नामान्तरण त्रुटि को स्वीकार करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश किया जिस पर पत्रावली संख्या 193/86 कायम की जाकर गुल्लाराम ने अपनी सगी बहिनों चन्दा, मणि, ज्यानकी का पैतृक हक हिस्सा स्वीकार कर बारानी कृषि भूमि अपनी बहिनों को दे दी तथा चाही जाव की जमीन खसरा अपने हिस्से में रख ली। इस कारण गुल्लाराम के समान ही उसकी बहिनें भी खातेदार हो गई इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार बनाया गया। तादौरान दावा के पक्षकारान में राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा गुल्लाराम के ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित चाही आराजी भूमि हिस्से में आई तथा ग्राम समर्थपुरा में स्थित बारानी फसली कृषि भूमि चन्दा, मणि, ज्यानकी के हिस्से में आने का राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक कर दिया गया। लेकिन सहायक कलक्टर सीकर द्वारा राजीनामे के विपरीत जाकर इस बाबत कोई ध्यान दिये बिना कि गलत रूप से गुल्लाराम को उनके हिस्से से भी ज्यादा चाही भूमि ग्राम समर्थपुरा के नजदीक स्थित राजीनामे में मिल चुकी है। सहायक कलक्टर सीकर ने राजीनामे पर ध्यान दिये बिना गलत रूप से गुल्लाराम को बारानी भूमियों में से 1/5 हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा गुल्लाराम ने बिना कोई प्रतिफल लिए अपनी पारिवारिक नाराजगी के चलते आरम्भतः शून्य विक्रय पत्र दिनांकित 26.10.1998 को सरकार द्वारा अवाप्त शुदा भूमियों सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 23.10.1998 के तहत भरा गया नामान्तरण संख्या 141 जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 37/99 बउनवानी सहायक अभियंता सार्वजनिक विभाग सीकर बनाम गुल्लाराम आदि दिनांक 05.12.2000 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के यहां अपील संख्या 1/2001 बउनवानी महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 18.01.2001 को खारिज कर दी गई तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 8/2003 (11/2001) महावीर सिंह बनाम सहायक अभियंता पेश की गई। जो दिनांक 26.05.2005 को खारिज कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने का आदेश आज भी वैध एंव प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने हक अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करवाये बिना राजस्व मण्डल अजमेर पीठासीन अधिकारियों व अपीलांट को मुगालता देकर निर्णय पारित करवा लिया जिसकी रिट याचिका 5303/10 आगामी तारीख पेशी 16.05.2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के यहां विचाराधीन है। दावे, अपील, रिट विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 में दिनांक 20.04.2011 को रेस्पोउेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में निष्पादित कर दिया तथा अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार सीकर के यहां दिनांक 23.04.2011 को केविएट आवेदन दायर करने के बाद भी अपीलांट व हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण संख्या 464 नायब तहसीलदार सीकर को अन्यथा प्रभावित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपने हक में तस्दीक करवा लिया। नामान्तकरण संख्या 464 तस्दीक करने से

पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की कोई पालना नही की गई है न ही कब्जे कोई जांच की गई मौके पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलाधीन भूमियों पर शुरू से ही अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सीकर द्वारा जारी नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 25.04.2011 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने अभिभाषक के जरिये जवाब आवेदन में अभिकथन किया है कि अपीलांट भंवरलाल व अन्यों ने अपने पिता गुल्लाराम उर्फ गुलाबचन्द के विरूद्व न्यायालय एसडीओ सीकर के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 116 तादादी 14 बीघा 4 बिस्वा जो कि पुराने खसरा नम्बर हैं, के बाबत एक दावा विभाजन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी प्रस्तुत किया था, उपरोक्त वाद संख्या 71/1987 बाद में सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर महोदय, प्रथम के यहां अन्तरित किया गया। उपरोक्त वादीगण का वाद डिक्री किया गया तथा प्राथमिक डिक्री कायम की गई, जिसके निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.1994 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रतिलिपि तथा उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलांट भंवरलाल वगैरह न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत अपील उनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम वगैरह, अपील संख्या 26/1994 के निर्णय दिनांक 01.05.1996 के विरूद्व की प्रमाणित प्रतिलिपिकी फोटो प्रतिलिपि तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 01.05.1996 के विरूद्व भंवरलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के निर्णय दिनांक 28.07.1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रतिलिपि, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहें है। इसके अलावा भंवरलाल वगैरह द्वारा माननीय न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 909/1999 के मेमो की प्रमाणित प्रतिलिपि मय आदेश दिनांक 30.11.2005 भी प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त प्रस्तुत समस्त दस्तावेज अपील की विषयवस्तु से सम्बन्धित है। अपीलांट भंवरलाल वगैरह द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील भंवरलाल आदि बनाम गुल्लाराम का निर्णय दिनांक 20.12.2003 को किया गया। उपरोक्त अपील में अपीलांट ने वाद संख्या 71/87 में पारित अनितम डिक्री दिनांक 26.05.1994 को चुनौती दी। राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने उपरोक्त अपीलांट स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व महावीर सिंह, रूघाराम व रामेश्वर लाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 502/2006 पेश की। उपरोक्त अपील की निर्णय दिनांक 26.03.2010 को पारित किया गया। निर्णय के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की गई एवं माननीय सहायक कलक्टर सीकर द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.04.1994 व अन्तिम डिक्री 26.05.1994 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। उपरोक्त निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है। सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गुल्लाराम वगैरह के विरूद्व एक दावा उनवानी सहायक अभियंता बनाम गुल्लाराम वगैरह विचाराधीन रहा। उपरोक्त वाद संख्या 12/2000 का

निर्णय माननीय सिविल न्यायाधीश सीकर के द्वारा दिनांक 28.04.2004 को किया गया, जिसमें प्रस्तुत अपील अपीलांट भी पक्षकार बने थे, जिसके विरूद्व उपरोक्त अपीलांट भंवरलाल, मंगलचन्द व रामनिवास ने अपील प्रस्तुत की। उपरोक्त नियमित अपील संख्या 67/2004 उनवानी भंवरलाल बनाम गुल्लाराम का निर्णय अपर जिला जज क्रम संख्या– 2 सीकर द्वारा दिनांक 28.10.2010 को किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, उपरोक्त अपील अपीलांट ने विड्रा कर ली तथा उपरोक्तानुसार उक्त अपील का निर्णय हो गया। उपरोक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हैं। प्रस्तुत अपील के अपीलांटस् की बहनों मणी देवी वगैरह व अन्यों ने अपील में वादग्रस्त खसरा नम्बर बाबत ही एक दावा निरस्त करने डिक्री दिनांक 23.04.1995, 28.07.1997 व उदघोषित करने विक्रय पत्र द्वारा खातेदारी एवं शाश्वत आदेश व अवैध घोषित करने नामान्तरकरण संख्या 94 व इन्द्राज जमाबंदी हेतु माननीय जिला जज सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, बाद में उपरोक्त वाद सुनवाई हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर के समक्ष अन्तरित हुआ। उपरोक्त वाद का निर्णय दिनांक 14.09.2004 को हुआ, उपरोक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्व उपरोक्त वाद के वादीगण ने कोई अपील पेश नहीं की अर्थात उपरोक्त वाद संख्या 04/1999 का निर्णय अन्तिम हो चुका है। उपरोक्त वाद, जवाब दावा, निर्णय के ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 व अन्यों के विरूद्व एक दावा उनवानी श्यामलाल बनाम गुल्लाराम वगैरह मय अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन वर्तमान में सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या–1 सीकर के यहां विचाराधीन है। उपरोक्त वाद के वादीगण जो कि इस अपील में अपीलांट हैं, ने दावा बाबत निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1998 एवं विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2011 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ प्रस्तुत किया है। उपरोक्त वाद अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन में कई गलत तथ्यों व गलत अभिकथनों को वर्णित करते हुए वाद पत्र पेश किया है, जिसका वादोत्तर उपरोक्त वाद के प्रतिवादीगण ने जो कि इस अपील में रेस्पोउेन्टस् हैं, ने माननीय न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति को निवेदित करते हुए प्रसतुत कर दिया है। उपरोक्त वाद में वादीगण द्वारा वर्णित भूमियां एवं अपील में में वर्णित भूमियां व प्रकरण के तथ्य का विषय वस्तु समान हैं। उपरोक्त वाद उनवानी श्यामलाल बनाम गुल्लाराम तथा अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन का दावा व वादोत्तर एवं आवेदन व जवाब आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में एक आवेदन दिनांक 16.05.2017 को कतई गलत रूप से प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा निर्मित रिट याचिका संख्या 5303/2010 दिनांक 17.11.2016 की गलत कानूनी व्याख्या करते हुए आवेदन पेश किया गया। इसलिए न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति को प्रकट करने के लिए उपरोक्त रिट याचिका के मेमो की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उपरोक्त समस्त

दस्तावेज प्रस्तुत कर रहें हैं। अतः प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि :–

(1) अपीलान्ट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई रिकॉर्ड रिपोर्ट दिनांक 28.02.1986 के अनुसार गुल्लाराम पुत्र डालूराम के नाम खसरा नम्बर 459, 460, 462, 463, 464 एवं 458 कुल किता 6 रकबा 4.05 है. एवं खसरा नम्बर 330, 331, 332, 408, 409, 411 कुल किता 6 रकबा 2.17 है. दर्ज थे। डालूराम की मौत होने के बाद उक्त भूमि रकबा 4.05 है. का बंटवारा वाद बाबत (1) भंवर लाल (2) मंगल चन्द (3) रामनिवास (4) श्याम लाल एवं (5) गुल्लाराम के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज होने का आदेश दिनांक 26.05.1994 को सहायक कलक्टर (मु.) सीकर द्वारा पारित कर डिक्री किया गया।

(2) न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर द्वारा वाद संख्या 71/87 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.1994 के विरूद्व भवंर लाल वगै. द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2003 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 459, 459, 460, 462, 463 व 464 के सम्बन्ध में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.04.1994 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 26.05.1994 को निरस्त कर वादीगण/अपीलान्ट का वाद इस प्रकार डिक्री किया गया है कि ''वादीगण भवंर लाल, मंगलचन्द, रामनिवास एवं श्यामलाल पुत्रगण गुल्लाराम उर्फ गुलाब चन्द को विवादित भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 458, 459 460, 462, 463 व 464 कुल किता 6 रकबा 4.05 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है''। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमियों में गुल्लाराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के इन्द्राज को हजफ करने के आदेश दिये जाते है।

(3) राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.12.2003 के विरूद्व द्वितीय अपील महावीर सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 26.03.2010 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी सीकर का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2003 निरस्त करते हुए सहायक कलक्टर सीकर द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री 23.04.1994 एवं निर्णय अन्तिम डिक्री दिनांक 26.05.1994 को यथावत रखा गया है।

(4) राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 24.12.1988 के क्रम में भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निमार्ण विभाग भवन व पथ वृत 4 जयपुर के द्वारा गुल्ला राम पुत्र डालूराम के नाम से जारी संशोधित नोटिस के अनुसार ग्राम समर्थपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 458 में से 0.01 है, ख.न. 459 में से 0.71 है., ख.न. 460 में से 0.14 है. ख.न. 462 में से 0.25 है. ख.न. 463 में से 0.05 है. व ख.न. 464 में से 0.08 है. कुल रकबा 1.24 है. अवाप्त किये जाने का उल्लेख है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5) फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1998 के अनुसार गुलाब चन्द उर्फ गुल्लाराम द्वारा भूमि ख.न. 463 रकबा 0.08है व ख.न. 462/1 रकबा 0.36 है. कुल रकबा 0.44 है. का बेचान महावीर सिंह, रूघाराम व रामेश्वर लाल को किया गया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 23.10. 1998 के आधार पर तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 12. 11.1998 के विरूद्व अपील सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के यहॉ प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 05.12.2000 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 141 निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्व महावीर सिंह वगै. द्वारा अपील न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2001 के अनुसार उक्त अपील खारिज की गई है। संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 18.01.2001 के विरूद्व महावीर सिंह वगै. द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2005 में लिखा है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किया है उसके किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नही पाते। अतः उनमें हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। फरस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती हैं।

(6) माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2005 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 462 की अवाप्तशुदा 0.36है. भूमि में से 0.25 है. व खसरा नम्बर 463 की 0.08 है. भूमि में से 0.05 है. भूमि अवाप्त की गई है और इस अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक विक्रयपत्र को सिविल न्यायालय ने निष्प्रभावी किया है। इस द्वष्टि से इस हद तक तो नामान्तरकरण संख्या 141 निरस्तनीय है लेकिन चूंकि दोनों पक्षकारो के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है व अन्य न्यायालयों में भी राजस्व वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में शेष भूमि के सम्बन्ध में भी उचित यही है कि नामान्तरकरण संख्या 141 के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही स्थगित रखी जावें और सिविल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 28.04.2004 का अन्तिम रूप लेने व अन्य न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य अधिकारों के सम्बन्ध में विवाद का निपटारा होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाना ही न्यायोचित है अन्यथा पक्षकारों के मध्य और मुकदमेबाजी बढ सकती है इसी को द्वष्टिगत रखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नही पाते है। अतः उनमें हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के अनुसार राजस्व अधिकारी उसी अनुसार नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते है।

(7) सहायक अभियन्ता सा.नि.विभाग द्वारा दायर वाद संख्या 12/2000 में माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2004 में अंकित किया है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डिक्री किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 23.10.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में

किया गया विक्रय पत्र वादीगण द्वारा अवाप्त की गई भूमि की सीमातक निष्प्रभावी रहेगा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अवाप्तशुदा भूमि की सीमा तक वादीगण के पक्ष में पंजीयन करवायेगें और उस सीमा तक राजस्व विभाग में वादीगण के हक में अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तरकरण वादीगण अपने पक्ष में करवा सकेगें।

(8) नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 05.04.2010 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई अपील में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2010 के आधार पर ग्राम समर्थपुरा पटवारी हल्का द्वारा भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है।

(9) नामान्तकरण संख्या 432 दिनांक 05.04.2010 माननीय सिविल न्यायधीश (व.ख.) सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2004 एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1998 के अनुसरण में पटवारी हल्का ग्राम समर्थपुरा द्वारा भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है।

(10) रेस्पो. सं. 4 से 6 द्वारा उक्त भूमि को रेस्पो. संख्या 1 से 3 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2011 को विक्रय किया गया है। इस विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ग्राम समर्थपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 464 भरे जाने पर, बाद जॉच भू.अ.नि. पिपराली के, तहसीलदार सीकर ने दिनांक 25.04.2011 स्वीकार किया है।

(11) माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.03.2010 के अपील पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 17.11.2016 पारित कर आदेशित किया है कि:–

> Learned counsel for respondents submit that preliminary decree was not challenged by the petitioners thus challenge to the final decree was not sustainable. The Board of Revenue has considered the issue aforesaid while deciding the appeal.
>
> It is also submitted that Board of Revenue reversed the order passed by the frist revenue court, as it was without providing opportunity of hearing to the private respondents. If interference in the order passed by the Board of Revenus is made, matter may be remanded back to the Revenue Appellate Authority where respondents should also be provided opportunity of hearing.
>
> It is agreed by the parties for remand of the case to the Revenue Appellate Authority for afresh decision on all the issues and to provide opportunity of hearing to the private resopndent nos. 4 to 6 also.
>
> In view of above, impugned order passed by the Board of Revenus is set aside so as order passed by the revenue Appellate Authority with remand of the case to the Revenue Appellate Authority to hear and pass fresh order. It would obviously be after providing oppourunity of hearing to the private respondent nos. 4 to 6 The parties are directed to remain present before the Revenue Appellate Authority on 5Th January, 2017 The Writ Petition stands disposed of with the aforesaid

7. चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी को पुन विचार हेतु प्रतिप्रेषित किया है एवं पक्षकारान के मध्य अन्य न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन है, जिनके

निस्तारण से ही पक्षकारान के हक व हिस्सों का निस्तारण होगा। नामान्तकरण के जरिये किसी पक्षकार के हक व हिस्सों का निर्धारण नही होता है नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में मात्र एक समरी प्रक्रिया है।

8. वाद लम्बन के दौरान अगर विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीकरण विधिसम्मत नही किया गया है तो अपीलांट को उसे विधि अनुसार निरस्त करवाने का वाद सक्षम न्यायालय में दायर करना चाहिए।
9. अतः विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार, सीकर द्वारा किऐ गऐ नामान्तकरण संख्या 464 दिनांक 25.04.2011 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। सक्षम न्यायालयों से लम्बित वादों में निर्णय प्राप्त होने पर, सम्बन्धित राजस्व अधिकारी निर्देशानुसार नामान्तकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

10. निर्णय आज दिनांकः 06 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

. **(नरेश कुमार ठकराल)**
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official